रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 16, 1993/कार्तिक 25, 1915
No. 401] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 16, 1993/KARTIKA 25, 1915

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1993

सा. का. नि. 708(अ)—राष्ट्रपति, राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 (1982 का 43) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) दसरा संशोधन नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 के नियम 11 के उप नियम (11) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 7/28/88 – एम एंड जी.]

वी. के. मल्होत्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा. का. नि. 343(अ) तारीख 30 मार्च, 1987 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात् उसमें सा. का. नि. 532(अ) तारीख 29 मई, 1987 सा.का.नि.70(अ), तारीख 1 फरवरी, 1989, सा. का. नि. 675 (अ), तारीख 30 जुलाई, 1990, सा. का. नि. 64(अ)———— 13 फरवरी, 1991, सा. का. नि. 949(अ) तारीख 28 दिसम्बर, 1992 और सा. का. नि. 275 (अ), तारीख 11 मार्च, 1993 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 1993

G.S.R. 708(E).—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Act, 1982, (43 of 1982), the President hereby makes the following rules further to amend the Governors (Allowances and Privileges) Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Governors (Allowances and Privileges) Second Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Governors (Allowance and Privileges) Rules, 1987, sub-rule (11) of rule 11 shall be omitted.

[F. No. 7|28|88-M&G]

V. K. MALHOTRA, Jt. Secy.

NOTE :

The Principal rules were notified vide GSR 343(E) dated 30th March, 1987 and subsequently amended by GSR 532(E) dated 29th May, 1987; GSR 70(E) dated 1st February, 1989; GSR 675(E) dated 30th July, 1990; GSR 64(E) dated 13th February, 1991; GSR 949(E) dated 28th December, 1992 and GSR 275(E) dated 11th March, 1993.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993